PRIMARY TEACHERS' EDUCATION COLLEGE

(A Jesuit Christian Minority Institution, Estd: 1958)
Recognized by ERC, NCTE vide order No. BR-E/E-2/96/2799(12) DT 11.02.1997

COLLEGE PROSPECTUS

Gurwa, P.O.-Sitagarha, Hazaribag-825303, Jharkhand, INDIA www.ptecgurwa.org

Office : 06546 352385 89879 03798 info@ptecgurwa.org
Principal : 06546 352565 98353 58073 principal@ptecgurwa.org

परिचय :–

यह प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, हजारीबाग येसु समाज के द्वारा सन् 1958 ई0 में ईसाई अल्पसंख्यक संस्था के रूप में स्थापित किया गया है। संत इग्नासियुस लोयोला द्वारा सन् 1540 ई0 में येसु समाज की स्थापना हुई। तब से यह धर्म समाज शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में विश्व विख्यात है। हजारीबाग जेसुइट एजुकेशनल सोसाइटी इसी महान कार्य का एक सिलसिला है। यह महाविद्यालय इसकी एक इकाई है। यह महाविद्यालय झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची द्वारा सम्बद्धता और National Council for Teacher Education द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था है।

महाविद्यालय का उद्देश्य :–

यह महाविद्यालय राज्य के काथलिक, ईसाई लड़के–लड़कियों एवं अन्य जाति एवं धर्म के छात्रों तथा छात्राओं को धार्मिक, बौद्धिक, नैतिक, शारीरिक, सांस्कृतिक एवं व्यावसायिक शिक्षा देकर उन्हें सर्वगुण सम्पन्न शिक्षक–शिक्षिका बनाने का उद्देश्य रखता है। यहाँ इस तरह शिक्षा दी जाती है कि प्रशिक्षित शिक्षक–शिक्षिकाएँ मानवीय गुणों से सुसज्जित अपने सदाचरणों द्वारा, विवेक और सुबुद्धि का प्रयोग कर समर्पित भाव से अपने ग्रामीण भाई–बहनों का सही नेतृत्व कर उन्हें विकासोन्मुख बनाने में सफल होंगे। इस तरह वे महाविद्यालय के आदर्श वाक्य 'पर हिताय नरः नारी' को चरितार्थ कर पाएंगे।

महाविद्यालय क्रिया–कलाप एवं सुविधाएँ :–

उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए महाविद्यालय में प्रशिक्षणार्थियों के लिए प्रोजेक्टरयुक्त कक्षाएँ, कम्प्यूटर प्रयोगशाला, विज्ञान–गणित प्रयोगशाला, मनोविज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय, वाइ–फाई (Wi-Fi) युक्त कैम्पस तथा खेल के मैदान उपलब्ध हैं। महाविद्यालय अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का भी आयोजन करता है। जैसे :– सद्गुणों के विकास एवं दुर्गुणों के निराकरण के लिए आध्यात्मिक साधना, सेमिनार, ज्ञान–विज्ञान के लिए शैक्षणिक भ्रमण, मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कार्यशाला एवं खेल–कूद, दक्षता बढ़ाने के लिए चित्रकला, संगीत, नाटक, बागवानी एवं कृषि इत्यादि। चरित्र निर्माण के लिए सामुदायिक जीवन और क्रिया–कलापों एवं वर्ग में उपस्थिति पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अस्थानीय आवेदकों के लिए छात्रावास अनिवार्य है। स्थानीय आवेदकों के लिए छात्रावास को ऐच्छिक कर दिया गया है।

महाविद्यालय पाठ्यक्रम :–(NCTE द्वारा निर्धारित)

1. नवोदित भारतीय समाज में शिक्षक और शिक्षा 2. शिक्षा मनोविज्ञान 3. विद्यालय संगठन, निर्देशन एवं परामर्श 4. शैक्षिक प्रौद्योगिकी एवं मूल्यांकन 5. हिन्दी 6. अंग्रेजी 7. संस्कृत या एक स्थानीय भाषा 8. गणित 9. समाज अध्ययन 10. विज्ञान 11. शिक्षण अभ्यास 12. कम्प्यूटर 13. कार्यानुभव (बागवानी एवं कृषि) एवं शारीरिक शिक्षा 14. सामुदायिक जीवन।

महाविद्यालय नामांकन प्रक्रिया एवं चयन :–

1. **न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता** :– मान्यता प्राप्त बोर्ड/परिषद् से मैट्रिक एवं इन्टरमीडिएट या +2 की परीक्षा में कम से कम 50% अंकों से उत्तीर्ण हों। इसमें ST/SC/OBC के लिए 5% छूट है।
2. **आयु सीमा** :– आयु आवेदन वर्ष के 1 जुलाई को 18 वर्ष से कम न हो।
3. **वैवाहिक स्थिति** :– पुरूष और महिला दोनों अविवाहित होनी चाहिए। प्रशिक्षण अवधि में विवाह एवं मंगनी करने की अनुमति नहीं है। ऐसा करने से प्रशिक्षणार्थी को महाविद्यालय तथा छात्रावास से बिना नोटिस दिये निष्कासित किया जाता है।
4. **नामांकन के लिए चयन** प्रमाणित मेधा, लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के आधार पर किया जाता है।
5. **आवासीय** :– जो झारखण्ड राज्य का स्थायी निवासी है। या जिनके माता–पिता झारखण्ड राज्य स्थित राज्य सेवा या भारत सरकार द्वारा संचालित उपक्रमों/संस्थानों के कर्मचारी हों या सेवानिवृत्त हो चुके हों। या जिनके माता–पिता की झारखण्ड राज्य में 5 वर्षों से अचल सम्पत्ति हों। या जो झारखण्ड राज्य के किसी शिक्षण संस्थान से कम से कम 7 वर्षों तक शिक्षा प्राप्त किये हों अथवा उच्चतर माध्यमिक परीक्षा झारखण्ड राज्य से उत्तीर्ण हों।

महाविद्यालय सम्बन्धी कुछ नियम एवं सूचनाएँ :–

1. यह एक ईसाई अल्पसंख्यक घोषित संस्था है। अतः यहाँ के सभी कार्यक्रम ईसाई धर्म के अनुरूप ही होते हैं।
2. सभी नामांकित विद्यार्थियों को महाविद्यालय के नियमों के अनुसार नियमित रूप से दैनिक कक्षाओं में उपस्थित एवं अन्य सभी कार्यक्रमों में भाग लेना है।
3. बोर्ड परीक्षा में उत्प्रेषित होने के लिए NCTE/JAC द्वारा निर्धारित प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।
4. महाविद्यालय/छात्रावास से अनुपस्थित रहने के लिए अग्रिम अनुमति प्राचार्य/होस्टल अधीक्षक से लेना है। बिना अनुमति अनुपस्थित रहने पर दण्ड देना पड़ता है।
5. विद्यार्थियों को महाविद्यालय परिसर (College Campus) के अन्दर कक्षा अवधि (Class hours) एवं स्वाध्याय अवधि (Study hours) में मोबाइल फोन का प्रयोग मना है। ऐसा करने पर मोबाइल जब्त कर लिया जाता है और महाविद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र के साथ ही दिया जाता है।
6. प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थी को कोई भी अन्य परीक्षा लिखने के लिए अनुमति लेना अनिवार्य है।

7. सफल आवेदकों को महाविद्यालय यूनिफॉर्म का सेट और पाठ योजना तथा चित्रांकन कॉपी महाविद्यालय से ही उपलब्ध होते हैं। राशि बिल के आधार पर लिया जाता है।
8. सामुदायिक जीवन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का एक अंग है। अतः प्रशिक्षणार्थियों को महाविद्यालय के सभी सामुदायिक कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य है।
9. महाविद्यालय में केवल चार मुख्य छुटिट्याँ हैं– 1. दुर्गा पूजा/दिवाली 2. ख्रीस्त जयन्ती 3. पास्का पर्व 4. गर्मी। अन्य समय बिना अनुमति घर जाना सख्त मना है।
10. सत्र के बीच में अपनी इच्छा से या अनुशासनहीनता के कारण प्रशिक्षण छोड़ने पर, नामांकन के समय देय अप्रत्यर्पणीय (Non-refundable) राशि और दो वर्ष का शिक्षण शुल्क एवं छात्रावास सीट शुल्क भी प्रशिक्षणार्थी को भरना पड़ता है। महाविद्यालय के पास जमा मूल प्रमाण पत्र प्रशिक्षणार्थी को सभी राशि देने के पश्चात् ही निर्गत किये जाते हैं।
11. नामांकित विद्यार्थी यदि महाविद्यालय अनुशासन का पालन नहीं करते हैं या किसी बाह्य ग्रुप/अन्य मित्रों के साथ मिलकर महाविद्यालय के विरूद्ध कोई भी कार्य करते हैं तो उन पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है। गंभीर परिस्थिति में उन्हें महाविद्यालय से उचित सूचना एवं चेतावनी देकर निष्कासित भी किया जा सकता है।
12. प्रशिक्षण काल में महाविद्यालय/छात्रावास के अहाते में एवं अहाते के बाहर धुम्रपान तथा नशापान करना सख्त मना है। तथा महाविद्यालय/छात्रावास के अहाते में शराब या अन्य मादक द्रव्यों का सेवन करके आना भी दंडनीय अपराध माना जाता है। यदि आवश्यक लगे तो प्राचार्य या छात्रावास अधीक्षक प्रशिक्षु शिक्षक से अल्कोहॉल परीक्षण कराने की मांग कर सकते हैं। पहली बार नशा के हालत में पाये जाने पर ₹20,000/– जुर्माना के तौर पर लिया जाता है। इस गलती को दुहराने से महाविद्यालय एवं छात्रावास से निष्कासित भी किया जाता है।
13. महाविद्यालय/छात्रावास में रैगिंग करना/भाग लेना शैक्षणिक नियम एवं मानवीयता के विरूद्ध व्यवहार माना जाता है तथा दोषी पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है। गंभीर अवस्था में उचित सूचना देकर महाविद्यालय और छात्रावास से निष्कासित किया जा सकता है।
14. महाविद्यालय/छात्रावास में सीनियर व जूनियर का भेद/मतभेद पैदा करना या लड़ाई व झगड़ा का वातावरण उत्पन्न करना अथवा लड़ाई में शामिल होना अनुशासनिक तौर से महाविद्यालय के मूल्य एवं प्रतिष्ठा के खिलाफ व्यवहार माना जाता है।
15. महाविद्यालय/छात्रावास में जाति, धर्म एवं संस्कृति के नाम पर भेदभाव तथा ऊँच–नीच का कोई भी अभद्र व्यवहार एवं वचन दंडनीय अपराध माना जाता है।
16. नामांकन के समय सभी चयनित प्रशिक्षणार्थियों को महाविद्यालय में रैगिंग विरोधी कानून संबन्ध में एक शपथ पत्र (affidavit) नोटिरी के द्वारा प्रमाणित किया हुआ जमा करना है। Affidavit का नमूना महाविद्यालय के वेबसाईट से डाउनलॉड किया जा सकता है।
17. यह सह–शिक्षा शिक्षक प्रशिक्षण संस्था है। पुरूष और महिला छात्रों के लिए अलग–अलग छात्रावास की व्यवस्था और सुविधाएँ उपलब्ध हैं। पाठयक्रम में निर्धारित मुख्य उद्योगों को एक साथ किया जाता है।
18. अस्थानीय सफल आवेदकों के लिए छात्रावास अनिवार्य है, पर स्थानीय (जिनका पैतृक घर या धर्म समाजी आवास महाविद्यालय से 8 किलोमीटर की त्रिज्या के अन्तर्गत आता है) आवेदकों के लिए छात्रावास में रहना ऐच्छिक है। जो छात्र मोटर चालित वाहनों से कॉलेज आना चाहते हैं उन्हें प्राचार्य को अपना ड्राईविंग लाइसेंस दिखाकर पंजीकरण कराकर अनुमति लेना होगा।
19. स्थानीय आवेदक जो छात्रावास में रहते हैं, उन्हें प्रशिक्षणकाल के अन्त तक छात्रावास में ही रहना होता है। बीच में किसी भी प्रशिक्षाणार्थी को होस्टल छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
20. प्रशिक्षणार्थियों को छात्रावास के सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करने पर गम्भीरता के आधार पर प्रशिक्षणार्थियों को महाविद्यालय एवं छात्रावास से निष्कासित भी किया जा सकता है।
21. कल्याण विभाग से सरकारी नियमानुसार छात्रवृत्ति पाने का प्रावधान है। ऑनलाइन निर्गत जाति, आवासीय एवं आय प्रमाण पत्र ही छात्रवृत्ति के लिए मान्य है। अतः सभी सफल आवेदक इन्हें अपने साथ लाना न भूलें।

महाविद्यालय शिक्षण एवं छात्रावास शुल्क संबंधी सूचनाएँ :–

- प्रशिक्षणार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे शिक्षण एवं छात्रावास शुल्क तिमाही (Quarterly) रूप में निर्धारित राशि नियमित जमा करें। (यथा : जुलाई/अक्टूबर/जनवरी/अप्रैल माह में)
- समय पर शिक्षण एवं छात्रावास शुल्क जमा नहीं करने पर दण्ड लिया जा सकता है।
- महंगाई को देखते हुए महाविद्यालय प्रबन्धन हर वर्ष शिक्षण एवं छात्रावास शुल्क की वृद्धि कर सकती है।
- प्रथम वर्ष का सभी शुल्क प्रथम वर्ष में और द्वितीय वर्ष का शुल्क द्वितीय वर्ष में पूरा करना अनिवार्य है।

- प्रशिक्षणार्थी को वार्षिक शैक्षणिक पर्यटन के लिए निर्धारित अग्रिम राशि द्वितीय वर्ष के आरंभ (जुलाई) में जमा करना होता है। वार्षिक शैक्षणिक पर्यटन की जगह एवं राशि के विषय में प्रशिक्षणार्थियों को पूर्व सूचना द्वितीय वर्ष के दौरान दी जाती है। अग्रिम राशि का बकाया भुगतान (Payment or Refund) पर्यटन के समय पर की जाएगी।
- महाविद्यालय एवं छात्रावास शुल्क DD, UPI और Net Banking द्वारा जमा किया जा सकता है। प्रशिक्षाणार्थी ऑनलाइन भुगतान की सूचना treasurer@ptecgurwa.org पर दें, ताकि रसीद दी जा सके।

महाविद्यालय बैंक विवरण :–
PRIMARY TEACHERS EDUCATION COLLEGE GURWA
State Bank of India, Chano Branch
A/c No. 34880449347, IFSC: SBIN0017127

अन्य विशेष ध्यान देने योग्य बातें :–

1. द्वितीय वर्ष में प्रोन्नति के लिए प्रशिक्षणार्थियों को प्रथम वर्ष के दोनों सत्रों की परीक्षाओं के सभी विषयों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
2. प्रशिक्षणार्थी इस प्रॉस्पेक्टस (विवरणिका) को सुरक्षित रखें एवं प्रशिक्षण के दौरान प्रयोग करें।

प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, गुड़वा, सीतागढ़ तक पहुँचने का रास्ता :–

संत कोलम्बा कॉलेज मोड़ से चुरचू रोड होकर लालपुर चौक पहुँचें और वहाँ से दायीं ओर होते हुए आगे बढ़ें। तेली टोला चौक के दायीं ओर से लगभग 500 मीटर आगे बढ़ें; प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय (PTEC/TTI), गुड़वा, बायीं ओर स्थित है। (कॉलेज मोड़ से लगभग 5 km दूरी)